राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प.12 (1) साप्र–4/14 पार्ट जयपुर दिनांक 11.3.15

1. अति. आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली ।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. निदेशक सम्पदा निदेशालय, जयपुर।
4. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान जयपुर।

विषय :–राजकीय व्यय में मितव्ययता
प्रसंग :–वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 9(1) वित्त–1 (1) आ.व्य/2014 जयपुर दिनांक 19.02.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.2015 (संलग्न) के अनुसार पूर्व में जारी मितव्ययता परिपत्र प. 9 (1) वित्त–1 (1) आ.व्य/2012 दिनांक 30.06.2010 की निरन्तरता में राजकीय व्यय के विनियमन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में अंकित बिन्दुओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें। वर्ष के दौरान समानुपातिक व्यय सुनिश्चित करने के लिए कृपया **यह सुनिश्चित कर लें कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में चालू वर्ष के दौरान आवंटित कुल राशि के एक तिहाई (33%) से अधिक का व्यय नहीं किया जावें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित कर लें कि मार्च माह में बजट प्रावधानों के 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक का व्यय नहीं किया जावें।**

इस विभाग के नियंत्रणधीन बजट मदों के संबंध में कृपया उक्त दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग का परिपत्र

(महेन्द्र कुमार खींची)
उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक: प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2014 जयपुर, दिनांक : 19 फरवरी, 2015

परिपत्र

विषय :– राजकीय व्यय में मितव्ययता।

वित्त विभाग द्वारा जारी मितव्ययता परिपत्र प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2012 दिनांक 30.06.2010 (यथा संशोधित) की निरन्तरता में राजकीय व्यय के विनियमन के लिये निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) सेमीनार एवं कान्फ्रेंस

(i) सेमीनार, कान्फ्रेंस एवं वर्कशॉप के आयोजन में मितव्ययता सुनिश्चित की जावे। अति आवश्यक सेमीनार, कान्फ्रेंस एवं वर्कशॉप का आयोजना किया जा सकेगा। इस मद में बजट प्रावधान (आयोजना एवं आयोजना भिन्न) में 10 प्रतिशत कटौती लागू होगी।

(ii) पांच सितारा होटलों में राजकीय बैठक, सेमीनार, कान्फ्रेंस, वर्कशाप का आयोजन नही किया जाऐ। अति–आवश्यक होने पर वित्त विभाग की पुर्वानुमति से ही पांच सितारा होटलों में इस प्रकार के आयोजन किये जा सकेंगे।

(iii) व्यापार संवर्द्धन एवं निवेश प्रोत्साहित करने के प्रयोजन को छोड़कर राज्य एवं देश के बाहर सभी प्रदर्शनियों, मेलों, सेमीनार तथा वर्कशॉप के आयोजन पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

(2) समानुपातिक व्यय

वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से बजट प्रावधानों के अन्तर्गत वर्षभर में व्यय (Expenditure) का संतुलित प्रवाह (Flow) होना आवश्यक है। अतः वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में बजट प्रावधानों के एक तिहाई (33%) से अधिक का व्यय नहीं किया जावे। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि मार्च माह में बजट प्रावधानों के 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जावे। व्यय पर उक्त प्रतिबंध संशोधित अनुमानों (RE) की सीमा तक योजनावार (Schemewise) तथा मांगवार (Demand Wise) दोनों स्थितियों में लागू होगा।

यह परिपत्र राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स, समस्त विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर भी लागू होगा, किन्तु राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग, विधान सभा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग पर यह परिपत्र लागू नहीं होगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/ राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(सुधीर शर्मा)
निदेशक, वित्त(बजट)